राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

<u>अपील संख्या: - 884/2018</u>

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
बृजेश कुमार शर्मा मौहल्ला शिकारी पाडा, दिल्ली दरवाजा बाह, ,शांति भवन अलवर , राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपनिदेशक (क्षेत्रीय), अध्यक्ष जिला सेवा चयन आयोग स्थानीय निकाय विभाग जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 20-03-2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।

2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री राम गोपाल, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, उपस्थित।

3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।

4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 8-6-17 के द्वारा दिनांक 23-6-2009 को विभागीय पदोन्नति समिति की आयोजित बैठक की कार्यवाही के सम्बन्ध में 6 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी को पत्र दिनांक 3-7-17 से 35 पृष्ठीय सूचना हेतु 70/-रु. सूचना शुल्क जमा करवाने हेतु संसूचित किया गया था। परन्तु अपीलार्थी द्वारा सूचना शुल्क जमा नहीं करवाया गया अतः सूचना नहीं दी जा सकी।

6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 21-2-18 मय संलग्नक प्रस्तुत किया है, प्रति अपीलार्थी को पृष्ठांकित की है से प्रत्यर्थी के पैरा संख्या 5 में किये गये कथन की पुष्टि होती है।

7. प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि यदि अपीलार्थी आदेश प्राप्ति के 21 दिवस में सूचना शुल्क जमा करवा दें तो अपीलार्थी को वांछित सूचना अभिलेखानुसार अधिप्रमाणित एवं हस्ताक्षरित कर, जरिये पंजीकृत डाक भिजवाना सुनिश्चित करें।

8. अस्तु, वर्तमान अपील उपरोक्तानुसार निस्तारित की जाती है।

9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

10. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त